

प्ररूप 1

उपदान के लिए सेवा सत्यापन का प्रमाणपत्र
(नियम 21 देखिए)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| संख्या | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग/कार्यालय

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

प्रमाणपत्र

लेखा अधिकारी के परामर्श से यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

(नाम और पदनाम) ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, तारीख को वर्ष मास दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। सेवा का सत्यापन उनके सेवा दस्तावेजों के आधार पर और इस समय प्रवृत्त अर्हक सेवा संबंधी नियमों के अनुसार किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 21 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन सेवा उपदान के लिए अर्हक होती है, प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

अर्हक सेवा के ब्यौरे

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम | से | तक | अर्हक सेवा की अवधि |
|---------|--------------------------------|----|----|--------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में,

श्री

(नाम और पदनाम)

FORM 1

Certificate of verification of Service for Gratuity

[See rule 21]

No.

Government of India

Ministry of

Department/Office

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dated | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Certificate

It is certified, in consultation with the Accounts Officer, that Shri/Smt./Km.

(Name and Designation) has completed a qualifying service of

years months days as on (date), as per details given below. The service has been verified on the basis of his service documents and in accordance with the rules regarding qualifying service in force at present. The verification of service under sub rules (1) and (2) of rule 21 of the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, shall be treated as final and shall not be re-opened except when necessitated by a subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for gratuity.

DETAILS OF QUALIFYING SERVICE

| S. No. | Name of Ministry/Department /Office | From | To | Length of qualifying service |
|--------|-------------------------------------|------|----|------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Signature and stamp of Head of Office

To

Shri

(Name and Designation)